रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

SECRETARIAT LIBRARY INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 15, 1982/ज्येष्ठ 25, 1904
No. 243] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 15, 1982/JYAISTHA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1982

का० आ० 419(अ):—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है –

आदेश

पश्चिमी बंगाल के श्री एम० ए० रसूल और दो अन्य व्यक्तियों तथा दिल्ली के श्री एस० एस० गोयल द्वारा अर्जियां फाइल की गई हैं जिनमें यह अभिकथन किया गया है कि श्री प्रणव कुमार मुखर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के निबंधनों के अनुसार राज्य सभा की सदस्यता के लिये निरर्हित हो गये हैं;

भारत के राष्ट्रपति ने उक्त अर्जियों के प्रति निर्देश से इस प्रश्न पर कि क्या उक्त श्री प्रणव कुमार मुखर्जी ऐसे निरर्हित हो गये हैं, संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ;

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (उपाबंध देखिये) कि उक्त श्री प्रणव कुमार मुखर्जी ऐसे निरर्हित नहीं हुये हैं ;

अत:, मैं, नीलम संजीव रेड्डि, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि उक्त श्री प्रणव कुमार मुखर्जी, राज्य सभा के सदस्य होने के लिये, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के निबंधनों के अनुसार किसी प्रकार निरर्हित नहीं हुये हैं ।

राष्ट्रपति भवन; ह०/

नई दिल्ली, 11 जून, 1982

नीलम संजीव रेड्डि
भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1981 का निर्देश मामला सं० 3

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी, राज्य सभा के आसीन सदस्य, की अभिकथित निरर्हता के मामले में

राय

यह निर्देश भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन किया है और इसमें इस प्रश्न पर आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री प्रणव कुमार मुखर्जी राज्य सभा के आसीन सदस्य, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन निरर्हित हो गये हैं ।

यह प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष दो अर्जियों द्वारा उठाया गया था जिनमें से एक अर्जी तारीख 29 मई, 1981 की थी और वह पश्चिमी बंगाल के श्री एम० ए० रसूल तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई थी। दूसरी अर्जी तारीख 16 जून, 1981 की थी और यह दिल्ली के श्री एस० एस० गोयल द्वारा दी गई थी। जिन तथ्यों के विषय में कोई विवाद नहीं है वे इस प्रकार हैं:—

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी जुलाई, 1975 में हुए राज्य सभा के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन में पश्चिमी बंगाल राज्य से निर्वाचित हुए थे और उनका छह वर्ष का कार्यकाल 9 जुलाई, 1981 को समाप्त होना था। अप्रैल, 1980 में श्री मुखर्जी ने अपना नाम गुजरात राज्य में साबरमती सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में रजिस्टर कराया था। उन्होंने अपना नाम दर्ज कराने के लिये विहित प्ररूप में एक आवेदन किया था जिसमें कहा गया था कि अब वह 19, केतन सोसाइटी, अहमदाबाद के मामूली तौर से निवासी है। उनका नाम उक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 118/128 के क्रम संख्यांक 895 पर रजिस्टर किया गया था। इसी के साथ उनका नाम पश्चिमी बंगाल राज्य के नानूर सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से, जहां इससे पूर्व उनका नाम निर्वाचक के रूप में दर्ज किया गया था, काट दिया गया था। गुजरात से राज्य सभा के सदस्यों के निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिये जुलाई, 1981 में हुए द्विवार्षिक निर्वाचन में श्री मुखर्जी उस राज्य से निर्वाचित हुए थे और राज्य सभा में उनका छह वर्ष का कार्यकाल 14 अगस्त, 1981 से प्रारम्भ हुआ।

आयोग के समक्ष विचार के लिये संक्षिप्त प्रश्न अब यह है कि क्या अप्रैल, 1980 में पश्चिमी बंगाल राज्य में मामूली तौर पर निवासी न रह जाने के कारण श्री मुखर्जी राज्य सभा का सदस्य होने के लिये संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरर्हित हो गये थे।

अर्जीदारों ने अपने लिखित कथन में जो मुख्य दलील दी है और जो उनके वरिष्ठ काउंसेल श्री के० एल० शर्मा ने 17 अक्टूबर, 1981 को हुई सुनवाई पेश की थी वह यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 में राज्य सभा के लिये निर्वाचित होने के लिये एक आवश्यक अर्हता यह अधिकथित है कि संबंधित व्यक्ति उस राज्य में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये जहां से वह निर्वाचन लड़ रहा है और चूंकि श्री मुखर्जी अप्रैल, 1980 से पश्चिमी बंगाल राज्य में एक रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक नहीं रह गये थे इसलिये वह संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अर्थ के अंतर्गत निरर्हित हो गये थे। श्री शर्मा ने यह बात स्वीकार की कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 में यह बात अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है कि उस धारा में जो अर्हता विहित है वह अर्हता संबंधित व्यक्ति को ऐसे संपूर्ण समय तक रखनी चाहिये जब तक कि वह राज्य सभा का सदस्य रहे। किन्तु उन्होंने यह दलील दी कि उस धारा में इस प्रकार का अनुबंध पढ़ा जाना चाहिये। उनकी दलील इस तर्क पर आधारित थी कि राज्य सभा में जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और यह स्थिति लोक सभा से भिन्न है जिसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं तथा यह कि संविधान में प्रतिनिधित्व की वह मात्रा विहित है जो राज्य सभा में प्रत्येक राज्य को दिया जाना है और अर्हतायें उन अर्हताओं से भिन्न हैं जो लोक सभा की सदस्यता के लिये लागू होती हैं। यदि एक राज्य से निर्वाचित कोई व्यक्ति उस राज्य से अपना निवास बदल देता है और किसी अन्य राज्य में निवास करने लगता है और वहां का मतदाता हो जाता है तो पूर्वकथित राज्य का एक प्रतिनिधि कम हो जाएगा जिससे कि संवैधानिक असंतुलन पैदा हो जाएगा और उस राज्य के, जहां से वह निर्वाचित हुआ था, हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि निरर्हता का अर्थ अर्हता का अभाव, या अर्हता रहित होना या अर्हता से वंचित होना भी है। अपनी पश्चात् कथित दलील के समर्थन में उन्होंने (1) वेबियरसंस डिक्शनरी, (2) ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (3) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधिशब्दावली (4) कंपनी मामले (जिल्द 45, पृष्ट 576) और (5) ए० आई० आर० 1970 डी एल 240 में दिए गए डिस्क्वालिफिकेशन (निरर्हता) शब्द के अर्थ का आश्रय लिया।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी के वरिष्ठ काउंसेल श्री जगन नाथ कौशल ने दलील पेश की कि अर्हता और निरर्हता संविधान के अधीन दो सुभिन्न और अलग-अलग धारणाएं हैं और अनुच्छेद 102 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में निरर्हता तभी लागू होगी जबकि वह निरर्हता या तो उस अनुच्छेद में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त हो और विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित हो। उन्होंने आगे यह दलील पेश की कि संविधान के अनुच्छेद 102 (1) में अभिव्यक्त रूप से वर्णित निरर्हताओं में अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अभिव्यक्त रूप से विहित निरर्हताओं में विवक्षा द्वारा कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता है। उनका यह कहना था कि अर्हता का अभाव संविधान के अधीन निरर्हता से भिन्न है और अर्हता के अभाव का संविधान के अनुच्छेद 102 के अर्थ के अन्तर्गत निरर्हता नहीं माना जा सकता है। श्री कौशल ने यह निवेदन भी किया कि वर्तमान मामला कलकत्ता और गुजरात के उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट अर्जियों के रूप में उठाया गया था और उन दोनों उच्च न्यायालयों ने उन रिट अर्जियों को खारिज कर दिया था तथा उन दलीलों को जो वैसी ही दलीलें थी जो वर्तमान अर्जीदारों ने पेश की है, नामंजूर कर दिया था।

संविधान के अनुच्छेद 103 और 192 की परिधि के अन्तर्गत आने वाले मामले में, मैं कलकत्ता और गुजरात उच्च न्यायालयों के उपर्युक्त निर्णयों से जो ऊपर बताई गई रिट अर्जियों में दिये गये थे, आबद्ध नहीं हूं क्योंकि ऐसे मामलों का विनिश्चय करने के लिये समुचित प्राधिकारी राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें दी गई राय के अनुसार विनिश्चय करते हैं। किन्तु उन निर्णयों का निश्चय ही मार्गदर्शन के लिये देखा जा सकता है।

मैंने दोनों पक्षकारों द्वारा पेश की गई दलीलों की सावधानी पूर्वक समीक्षा की है और उनका विश्लेषण किया है। मैं इस विचार से सहमत हूं कि संविधान के अधीन संसद् और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिये अर्हतायें और निरर्हतायें दो अलग-अलग और सुभिन्न धारणा है। संसद की सदस्यता के लिये अर्हतायें अनुच्छेद 84 में बताई गई हैं जब कि ऐसी सदस्यता के लिये निरर्हतायें अनुच्छेद 102 में दी हुई हैं। यहां यह ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 84 में "संसद् के किसी स्थान को भरने के लिये चुने जाने के लिये" अर्हतायें विहित हैं जबकि अनुच्छेद 102 में "संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिये" निरर्हतायें उपबंधित है। अतः अर्हता का रखना केवल निर्वाचन के समय आवश्यक है जबकि निरर्हता निर्वाचन के समय और जब तक कि कोई निर्वाचित व्यक्ति संसद का सदस्य बना रहता है तब तक लागू होती है। यह तथ्य कि हमारे संविधान के अधीन अर्हता का अभाव और निरर्हता एक ही चीज नहीं है, अर्हताओं और निरर्हताओं से संबंधित संविधान के उपबंधों से स्पष्ट है। उदाहरण के लिये भारत की नागरिकता अनुच्छेद 84 (क) में अधिकथित एक विनिर्दिष्ट अर्हता है और गैरनागरिकता अनुच्छेद 102 (1) (घ) में विनिर्दिष्ट रूप से अधिकथित निरर्हता है। अर्हताओं और निरर्हताओं की इन्हीं दो भिन्न धारणाओं के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में इसी प्रकार के अलग-अलग उपबंध हैं। उक्त अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 1 में संसद की सदस्यता के लिये अर्हतायें विहित हैं और उसी भाग के अध्याय 3 में संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिये निरर्हतायें विहित हैं। अधिनियम में अर्हताओं से संबंधित उपबंध संविधान के अनुच्छेद 84 (ग) के उपबंधों के अनुसार अधिनियमित किये गये हैं। अनुच्छेद 84 (ग) में यह उपबंध है कि "संसद के किसी स्थान को भरने के लिये चुने जाने के लिये" अर्हतायें संसद विधि द्वारा विहित कर सकती है। इसी प्रकार अधिनियम के निरर्हताओं संबंधी

उपबंध संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) और 191(1)(ङ) के अनुसरण में अधिनियमित किये गये है। अनुच्छेद 102(1) में "होने के लिये" शब्दों का प्रयोग किया गया है जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 और 4 में, जिनमें अर्हतायें विहित हैं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। किन्तु अधिनियम के भाग II के अध्याय 3 में अधिकथित निरर्हताओं के संबंध में इन शब्दों का विनिर्दिष्ट रूप से प्रयोग किया गया है—देखिये अधिनियम की धारा 7(ख)। अत यह स्पष्ट है कि अर्हता का अभाव और निरर्हता संविधान तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की परिकल्पना के अधीन समानार्थी नहीं है।

अत: मेरी यह राय है और तदनुसार यह अभिनिर्धारित करता हूं कि राज्य सभा के लिये किसी सदस्य के निर्वाचन के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अधीन अर्हता की हानि को अथवा उसको उस अर्हता से रहित कर दिये जाने को संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ०) के उपबंध लागू नहीं होंगे और वे उपबंध उसे राज्य सभा का सदस्य बने रहने के लिये निरर्हित नहीं करेंगे। तदनुसार मैं संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी यह राय देता हूं कि श्री प्रणव कुमार मुखर्जी अप्रैल, 1980 में पश्चिमी बंगाल राज्य में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक न रह जाने पर निरर्हित नहीं हुए थे।

नई दिल्ली,
तारीख 31 अक्तूबर 1981

(एस० एल० शकधर),
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० एफ० 7(4)/82-विधायी II-7]
के० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15 June, 1982

S. O. 419(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas petitions have been field by Shri M. A. Rasul and two others from West Bengal and Shri S.S. Goyal of Delhi alleging that Shri Pranab Kumar Mukherjee has become subject to disqualification for membership of the Council of States in terms of article 102(1)(e) of the Constitution, read with section 3 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951);

And whereas, the President of India has sought the opinion of Election Commission under article 103 of the Constitution, with reference to the said petitions on the question whether the said Shri Pranab Kumar Mukherjee has become subject to such disqualification ;

And, whereas, the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said Shri Pranab Kumar Mukherjee has not become subject to any such disqualification;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 103 of the Constitution, do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said Shri Pranab Kumar Mukherjee has not become subject to any disqualification in terms of article 102(1)(e) of the Constitution, read with section 3 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for being a member of the Council of States.

NEELAM SANJIVA REDDY
President of India,
Rashtrapati Bhavan

New Delhi, the 11th June, 1982.

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 3 of 1981

In Re : Alleged disqualification of Shri Pranab Kumar Mukherjee, Sitting Member of the Council of States.

OPINION

This is a reference from the President of India under article 103(2) of the Constitution seeking the opinion of the Commission on the question whether Shri Pranab Kumar Mukherjee, a sitting member of the Council of States, had become subject to disqualification under article 102(1)(c) of the Constitution, read with section 3 of the Representation of the People Act, 1951.

The question was raised before the President by two petitions—one dated the 29th May, 1981 by Shri M.A. Rasul and two others from West Bengal and the second dated the 16th June, 1981 by Shri S.S. Goyal of Delhi. The undisputed facts are as follows :—

Shri Pranab Kumar Mukerjee was elected to the Council of States from the State of West Bengal at the biennial election held in July, 1975 and his six years term of office was to expire on the 9th July, 1981. In April 1980, Shri Mukherjee got his name registered in the electoral roll for Sabarmati Assembly Constituency in the State of Gujarat by making an application for inclusion of his name in the prescribed form stating that he was now ordinarily resident at 19, Ketan Society, Ahmedabad and his name was registered on the 17th April, 1980 at S. No. 895 of Part No. 118|128 of the electoral roll for the said consitituency. Simultaneously his name was deleted from the electoral roll of the Nanur Assembly Constituency in the State of West Bengal where he was previously registered as elector. At the biennial election held in July, 1981 to fill the vacancies caused by the retirement of members of Rajya Sabha from Gujarat, Shri Mukherjee was elected from that State and his term of six years in Rajya Sabha commenced from the 14th August, 1981.

The short question now for consideration of the Commission is whether by ceasing to be ordinarily resident in the State of West Bengal in April, 1980, Shri Mukherjee had become subject to disqualification under article 102 of the Constitution for being a member of the Council of States.

The main contention of the petitioners as put forth in their written statements and as made out by their Senior Counsel, Shri K. L. Sharma, at the hearing held on the 17th October, 1981, is that one of the essential qualifications to be elected to Rajya Sabha as laid down in section 3 of the Representation of the People Act, 1951, is that the person concerned must be a registered elector in the State from where he is contesting the election and as Shri Mukherjee ceased to be a registered elector in the State of West Bengal from April, 1980 he did not possess the aforesaid essential qualification and had thus become disqualified within the meaning of article 102(1)(e) of the Constitution. Shri Sharma conceded that section 3 of Representation of the People Act, 1951 did not expressly provide that the qualification prescribed in that section had to be possessed by the person concerned at all times so long as he was a member of the Council of States, but he urged that such a stipulation had to be read into that section. His contention was based on the argument that the Council of States, as its name indicated, consisted of the representatives of the States unlike the House of the People whose members were representatives of the people and that the Constitution had prescribed the quantum of representation to be given to each State in the Council of States and the qualifications were different from those applicable to the membership of the House of the People. If any person elected from one State changed his residence from that State and went to reside and became a voter in some other State, the former State would lose one representative which would create a constitutional imbalance and prejudicially affect the interest of the State which elected him. He further stated that the disqualification would also mean the lack of qualification, or dispossession of qualification or of being divested of qualification. In support of the latter contention, he relied on the meaning of the word

'disqualification' as given in: (1) Bauvier's Law Dictionary; (2) Black's Law Dictionary; (3) Legal Glossary issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs; (4) Company Cases (Vol. 45 page 576); and (5) AIR 1970 DL 240.

Shri Jagan Nath Kaushal, Senior Counsel for Shri Pranab Kumar Mukherjee, contended that qualifications and disqualifications were two distinct and different concepts under the Constitution and for a period to attract any disqualification under aricle 102, such disqualification must be express and specifically provided for either in the said article or by or under any law made by Parliament. He further contended that nothing could be added by implication to the disqualifications expressly mentioned in article 102(1) of the Constitution or those expressly prescribed in the Representation of the People Act, 1951. He urged that the lack of qualification was different from disqualification under our Constitution and the former could not be treated as a disqualification within the meaning of article 102 of the Constitution. Shri Kaushal also pointed out that the present matter had been agitated before the High Courts of Calcutta and Gujarat by way of writ petitions and both the High Courts had dismissed those writ petitions rejecting the contentions similar to those raised by the present petitioners.

In a matter falling under the purview of articles 103 and 192 of the Constitution, I am not bound by the aforesaid judgments of the Calcutta and Gujarat High Courts, in the writ petitions referred to above, as the appropriate authority to decide such matters is the President or the Governor in accordance with the opinion tendered to him by the Election Commission. But those Judgments could certainly be looked into for guidance.

I have examined and analysed carefully the continuous made by both the parties. I agree with the view that under the Constitution, the qualifications and disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures are two different and distinct concepts. Qualifications for membership of Parliament are contained in article 84, whereas disqualifications for such membership are contained in articile 102. It is significant to note here that whereas article 84 prescribes qualifications "to be chosen to fill a seat in Parliament", article 102 provides for disqualifications "for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament". Thus, whereas possession of qualification is necessary only at the time of the election, a disqualification operates both at the time of election and so long as an elected person contiinues to be a member of Parliament. The fact that lack of qualification is not the same as disqualification under our Constitution is evident from the provisions of the Constitution relating to qualifications and disqualifications. For example, citizenship of India is a specific qualification laid down in article 84(a) and the non-citizenship is specifically laid down as disqualification in article 102(1)(d). The same two different concepts of qualifications and disqualifications have been similarly dealt with separately in the Representation of the People Act, 1951. Chapter I of Part II of the said Act prescribes the qualifications for membership of Parliament and Chapter III of that Part prescribes the disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures. The provisions in the Act relating to qualifications have been enacted in pursuance of the provisions of article 84(c) of the Constitution which provides that Parliament may by law prescribe qualifications 'to be chosen to fill a seat in Parliament'. Similarly provisions in the Act relating to disqualifications have been enacted in pursuance of articles 102(1)(e) and 191(1)(e) of the Constitution. While the expression "for being" used in article 102(1) have not been used in sections 3 and 4 of the Representation of the People Act, 1951 prescribing the qualifications, it is specifically used in relation to disqualifications as laid down in Chapter III of Part II of the Act—vide section 7(b) of the Act. It is, therefore, evident that the lack of qualification and disqualification are not synonymous under the scheme of the Constitution and the Representation of the People Act, 1951.

I am, therefore, of opinion and accordingly hold that loss of qualification under section 3 of the Representation of the People Act, 1951, subsequent to an election of a member to Rajya Sabha or his dispossession of that qualification would not attract the provisions of article 102(1)(e) of the Constitution and would not render him disqualified for continuing as a member of Council of States. I accordingly tender my opinion to the President in terms of article 103(2) of the Constitution that Shri Pranab Kumar Mukherjee had not become subject to disqualification on his ceasing to be a registered elector in the State of West Bengal in April, 1980.

S. L. SHAKDHAR, Chief Election Commissioner

New Delhi, Dated the 1st October, 1981.

[No. F. 7(4)/82-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982